भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi110 001

फा0सं0 रा.भा.3(1)/2013-हिन्दी दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

परिपत्र

विषय :- सरकारी काम-काज में टिप्पण/आलेखन एवं श्रुतलेख (डिक्टेशन) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013 / 01 / 2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 14 सितम्बर, 2016 की प्रति परिषद के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्त वर्णित

सीमा चोपड़ा 7.12.16
(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (राजभाषा)
का.प्रति

वितरण :

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी अनुभाग/ अधिकारी, जिसमें कृषि अनुसंधान भवन- I/II एवं एन.ए.एस.सी कम्पलेक्स भी शामिल है **(वेबसाइट के माध्यम से)**

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित है **(वेबसाइट के माध्यम से)**

3. परियोजना निदेशक, (डीकेएमए) पूसा, नई दिल्ली-12 को उक्त संदर्भित परिपत्र को भा.कृ.अ.प. के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

फ़ाइल सं. 7 (आवती)

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,

जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 15 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त् निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा

अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ) ।
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग ।
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।

क्रम सं. 8 (आवर्ती)

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/18/93-रा.भा.(नी-2) के तहत अधिकारियों द्वारा हिंदी में श्रुतलेख (डिक्टेशन) देने के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 30 अक्तूबर 2012 का अधिक्रमण करते हुए अब इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर रुपये 5000/- कर दिया गया है।

2. विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 II/12013/1/89-रा0भा0 (क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में श्रुतलेख देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी। पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

हिन्दी अनुभाग / Hindi Section
डा० सं० / Dy. No. 261
दिनांक/Date 7/11/16

(91)

3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ)
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार)